[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 19/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 22 अप्रैल, 2019

सा.का.नि.... (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात्त इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर अधिसूचना सं. 34/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा में, आठवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
" परंतु यह भी कि, मार्च, 2019 मास के लिए उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 23 अप्रैल, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी । "।

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018 - जीएसटी (भाग-I)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 34/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त ,2018, भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 09/2019 तारीख 20 फरवरी, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 136 (अ), तारीख 20 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किया गया ।